कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्ध नगर।

पत्रांकः 1827/एस0टी0–डी0एम0/2020 दिनांकः 15/3/2020

कार्यालय आदेश

वर्तमान में चल रहे कोरोना वायरस (COVID-19) से बचाव एवं नियन्त्रण किये जाने के उद्देश्य से उ0प्र0शासन चिकित्सा अनुभाग–5, लखनऊ द्वारा निर्गत अधिसूचना सख्या–548/पांच–5–2020 लखनऊ, दिनांक 14.03.2020 के प्रस्तर–12 एवं उ0प्र0 चलचित्र (विनयमन) अधिनियम–1955 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी सम्बन्धित परिसर स्वामियों, संचालकों एवं प्रबन्धकों को आदेशित किया जाता है कि जनपद गौतमबुद्धनगर के सभी सिनेमा हॉल, सिनेप्लक्स, मल्टीप्लेक्स, व्यायामशाला (Gym) को दिनांक 31.03.2020 तक के लिए जनहित में पूर्ण रूप से बन्द किया जाता है। आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर–15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा–188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगें।

ह0

(ब्रजेश नारायण सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट,
गौतमबुद्ध नगर।

संख्या व दिनांक :– उपरोक्त
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेस–वे प्राधिकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों से अनुपालन कराने का कष्ट करें।
5. अपर जिलाधिकारी (वि/रा)/(प्रशासन) गौतमबुद्ध नगर।
6. स्टाफ ऑफीसर, जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर।
7. नगर मजिस्ट्रेट, नोएडा/ग्रेटर नोएडा को अनुपालनार्थ।
8. उप जिलाधिकारी, सदर/दादरी/जेवर।
9. जिला मनोरंजन कर अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनपद के सभी सिनेमा हॉल, सिनेप्लक्स, मल्टीप्लेक्स, व्यायामशाला (Gym) को दिनांक 31.03.2020 तक के लिए पूर्णतया बन्द कराया जाना सुनिश्चित करें।
10. उप क्रीडाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनपद के सभी व्यायामशाला (Gym) को दिनांक 31.03.2020 तक के लिए पूर्णतया बन्द कराया जाना सुनिश्चित करें।
11. जिला सूचना अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को प्रचार–प्रसार हेतु।

Brijesh Narain

जिला मजिस्ट्रेट,
गौतमबुद्ध नगर।